

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936

No. 1214]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/ JYAISTHA 16, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

का.आ.1460(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निम्निलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) चौथा आदेश, 2014 है।
 - (2) यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. कंपनी विधि बोर्ड की अधिकारिता शीक्तयां, प्राधिकार और कृत्य—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड. की उपधारा (1) के अनुसरण में गठित कंपनी विधि बोर्ड, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उप-धारा (1) के अधीन कोई तारीख अधिसूचित नहीं कर दी जाती, तब तक उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकरण की अधिकारिता, शिक्तयों, प्राधिकार और कृत्यों का प्रयोग करेगा।

[फा. सं. 1/8/2013 सीएल-V] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2014

- **S.O. 1460(E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—
 - 1. (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Fourth Order, 2014.
- (2) It shall come into force from the date of notification in the Official Gazztte.
- 2. Jurisdiction, powers, authority and functions of Company Law Board.- Until a date is notified by the Central Government under sub-section (1) of Section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Company Law Board constituted in pursuance of sub-section (1) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall exercise the jurisdiction, powers, authority and functions of the Tribunal under sub-section (2) of Section 74 of the said Act.

[F. No. 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt.Secy.